ग्राम पंचायत नरवाना खास, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत नरवाना खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सरिता देवी	01.04.21 से 31.03.23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्रीमति सविता देवी	01.04.21 से 31.03.23

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	01.04.2021 से 01.06.2021
2.	श्री ओंकार दत्त	02.06.2021 से 05.07.2021
3.	श्री रोहित कुमार	06.07.2021 से 16.08.2022
4.	श्री अजय कुमार	17.08.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री विशाल कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत नरवाना खास के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	1.70
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	35.81
3	7(क)	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.60
4	8.1	स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	0.05
5	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	0.87
6	9(क,ख,ग)	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.41

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नरवाना खास का गत अंकेक्षण अवधि 04/2018 से 03/2020 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नानुसार है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2020

क्र०सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति	विवरण
1	3	निर्णित	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
2	4	निर्णित	वित्तीय स्थिति
3	5 (1)	अनिर्णित	
4	5 (2)	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
5	6	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
6	7	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
7	8	अनिर्णित	
8	9	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
9	10	अनिर्णित	

10	11	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
11	12	अनिर्णित	
12	13	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में दिनाँक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नरवाना खास, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.02.2024 से 27.02.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	10/21	10/21
2022-23	07/22	05/22

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक

के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/71 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 02/2024 दिनांक 16.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट** - "**ख** " और " **ग** " में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹) (कालम 2+3)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021-22	494530.00	113965.00	608495.00	121394.00	487101.00
2022-23	487101.00	44862.19	531963.19	50904.00	481059.19

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹) (कालम 2+3)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2021-22	4506916.19	6926573.00	11433489.19	7815457.83	3618031.36
2022-23	3618031.36	5733365.30	9351396.66	5769997.22	3581399.44

कुल योग (1+2) = 481059.19 + 3581399.44 = **4062458.63**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹42,32,859.63** से सम्बन्धित समाधान विवरणी निम्नानुसार है : -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.23 को
1	स्व: स्त्रोत	PNB योल कैंट	6710000100029857	168153.19
2	स्व: स्त्रोत/ 5 वां वित्त / एस०डी०पी/ एल०ए०डी०पी०	KCCB योल कैंट	20121009825	917272.00
3	पंचायत समिति	KCCB योल कैंट	50055835784	36439.00
4	ज़िला परिषद	KCCB योल कैंट	50055835795	110984.00
5	एस०बी०एम०	KCCB योल कैंट	50055835706	0.00
6	स्वच्छता समिति	KCCB टंग	50075336420	67746.00
7	एस०डी०आर०एफ०/ सी०एम०आर०एफ०/ सी० आर० एफ०	KCCB योल कैंट	50055835740	216899.00
8	एम०पी०लेड०	KCCB योल कैंट	50055835819	277065.00
9	वी०के०वी०एन०वाई०	KCCB योल कैंट	50055835660	284561.00
10	14 वां वित्तायोग	KCCB योल कैंट	50055818094	0.00
11	14 वां वित्तायोग	IDBI योल कैंट	1106104000044891	36745.00
12	15 वां वित्तायोग	PNB योल कैंट	6710000100065442	2116287.44
13	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			683.00
14	हस्तगत शेष (स्वच्छता समिति)			25.00
			कुल जोड़	4232859.63
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग			₹4232859.63
	दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार {पैरा- 4(क)} अन्तशेष :-			₹4062458.63

	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-	₹4232859.63
	अंतर :-	₹170401.00

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹1.70 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को **₹170401.00** की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार व अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारेः -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के

पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः-स्त्रोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी० व एल०ए०डी०पी० शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध एक ही बैंक खाता 20121009825 खोल गया था। इसके अलावा ज़िला परिषद व पंचायत समिति से प्राप्त निधि के आय व्यय को स्वः-स्त्रोत रोकड़ बही में सम्मिलित किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्वः-स्त्रोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी० व एल०ए०डी०पी० अनुदान का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस बारे उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लेखा खाते/ खाता बहियाँ तैयार नहीं किये गए थे जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष

उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GPNK/GEN/72 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹35.81 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 01/2024 दिनांक 12.02.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " ख " व परिशिष्ट - " ग "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 35,81,399.44** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। उक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व

(क) गृहकर की राशि ₹1.60 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34 (2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष (ए०पी०एल०) व ₹25 प्रति वर्ष (बी०पी०एल०) की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹160325.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके। गृहकर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	93575.00	719	25/- व 50/-	33325.00	126900.00	0.00	126900.00
2022-23	126900.00	721	25/- व 50/-	33425.00	160325.00	0.00	160325.00

8. व्यय

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.05 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹4502.00** का व्यय किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

क्र०स०	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नहीं किया गया	राशि (₹)
1	01	01.04.2021	कार्यालय व्यय- बिजली बिल	1200.00
2	01	22.04.2021	कार्यालय व्यय- RTI	36.00
3	17	24.11.2021	कार्यालय व्यय- बिजली बिल	546.00
4	24	28.01.2022	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी	1005.00
5	26	31.03.2022	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी	750.00
6	01	29.04.2022	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी	440.00
7	02	26.05.2022	कार्यालय व्यय- स्टेशनरी	525.00
			कुल योग	**₹ 4502.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹25.60 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता स्तर व तकनीकी स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति व मापन पुस्तिका अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र०स०/अनुदान	निर्माण कार्य	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (₹)
1. 14वां वित्तायोग	कार्य:- पंचवटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक पार्क सृदल नाला में व्यायाम उपकरण व बच्चों की खेल कूद हेतु झूले स्थापित करना।	2020-21	5,00,000.00
2. 14वां वित्तायोग	कार्य :- मुरम्मत जीप रोड अरुण देवी के घर से फ़ैनी राम के घर की और वार्ड नं 04	2019-20	35,000.00
3. 14वां वित्तायोग	कार्य:- मुरम्मत रास्ता खिड़कु स्कूल के पास	2020-21	50,000.00
4. 14वां वित्तायोग	कार्य :- निर्माण इंटरलोक जोगिंग ट्रेक सार्वजनिक पार्क सृदल नाला वार्ड नं 04	2020-21	5,00,000.00

5. एम० पी०लेड	कार्य:- कंपलीशन सामुदायिक भवन रविन्द्र अवस्थी के घर के पास वार्ड नं 07	2017-18	1,00,000.00
6 एम० पी०लेड	कार्य :- निर्माण पक्का रास्ता सुरक्षा दीवार सहित नजदीक श्याम लाल घर वार्ड नं 04	2019-20	1,50,000.00
7. एस० डी० आर० एफ०	कार्य :- मुरम्मत रास्ता दीवार कुहल व कंक्रीट रास्ता सुरिन्द्र कुमार के घर से वेदप्रकाश के घर की और साईं स्कूल वार्ड नं 01	2020-21	3,50,000.00
8. एस० डी० आर०एफ०	कार्य :- मुरम्मत लिंक रोड अमरनाथ के घर से रमेश चंद के घर की और वार्ड नं 07	2021-22	3,50,000.00
9. वी० के० वी० एन०वाई०	कार्य :- निर्माण स्कूल भवन GSS कस्वा नरवाना	2020-21	2,00,000.00
10.एस०बी०एम०	कार्य :- निर्माण महिला एवं पुरुष शौचालय नजदीक पार्क सृदल नाला	2020-21	2,75,000.00
11. 15 वित्तायोग	कार्य :- निर्माण रास्ता काली माता मंदिर से बहादुर घर की और वार्ड नं 01	2022-23	50,000.00
	कुल योग		**₹25,60,000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/75 दिनांक 27.02.2024 में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि उक्त कार्यों से संबंधित मापन पुस्तिका, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अत: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सहित उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.87 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चयनित माह (11/2021) व (05/2022) रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट " घ "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹86,830.67** का अनियमित भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 06 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः **₹86,830.67** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वस्तु स्थिति अनुसार वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹0.41 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान करना:-

(क) निर्माण कार्य भूमि विकास (डंगे का निर्माण) कार्य भूमि संरक्षण हेतु सोहन लाल के घर के पास नाले में वार्ड न 5 में ₹0.12 लाख के अधिक भुगतान बारे :-

भूमि विकास (डंगे का निर्माण) कार्य भूमि संरक्षण हेतु सोहन लाल के घर के पास नाले में वार्ड न 5 की जांच के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण ₹12093.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

कार्य स्वीकृति संख्या: **1304004178/20202021/43938** दिनांक **15.07.2021**	
प्रशासनिक स्वीकृति संख्या : **1304004178/2021-2022/43938/AS** दिनांक **15.07.2021**	
शेल्फ क्रमांक संख्या : **मनरेगा**	कार्य स्वीकृत राशि : **301443.00**
सामग्री मापन का मूल्यांकन : **1,06,326.00**	कुल व्यय राशि : **2,14,797.00**
मापन पुस्तिका संख्या : **0110** पृष्ठ संख्या : **18 से 21**	

Error: Recording excess width of RD-07 in Item 1, 3 to 5 & one extra RD 11 of 0.9 Mtrs in Item No. 3 & 4 measured, resulting excess measurement

In item no.1 Excavation in foundation and trenches (Total length measured in Item No. 1 is 3.18+1.3+2.9+3.7+3.5+6.55+**6.0**=27.13 mtrs), RD no. 7 (1x6.00x0.9x0.60) was measured, but while measuring in Item no. 2 "P/L CC (1:6:12) stone aggregate 40mm nominal size (Total length measured in Item No. 2 is 3.18+1.3+2.9+3.7+3.5+6.55=21.13mtrs), RD No. 7 was not taken into measurement. It seems the measurement taken on Item no. 1, 3, 4 & 5 are not possible without filling stone in RD 7 (1x6.00x0.9x0.60) of item No. 2, which means further execution of item No. 3, 4 & 5 do not seem justified in addition to that in item no. 3 one additional length 1x0.90x0.65x0.95 in RD no. 11 was measured extra. Which may also be fully justified and duly checked and verified from the next higher technical authority other wise recovery be effected accordingly.

In addition to above the execution of item No. 4 i.e. "preceding from work after execution of item No. 3, i.e. C.C. 1:3:6 does not seem in order because the execution of item No. 3 is doing executed after form work.

This error has resulted in excess payment as under: -

Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Item No. 3 P/L cement concrete 1:3:6 stone aggregate 20mm size **Total length measured in Item no. 3** (3.18+1.3+2.9+3.7+**0.9**+3.5+6.55+**6.0**=28.03)	**M.B. Page 19, Item No. 3: -** **RD 11:** 1x0.90x0.65x0.95 =0.556 M^3 **RD 16 & 17:** 1x6.00x0.80x0.30 =1.44 M^3	7.4 M^3 @ ₹576.90/ M^3	4269.00

	1x6.00x0.80x1.50 =5.40 M^3 **Total (RD11+RD16+RD17) = 7.4** M^3		
Item No. 4 Providing formwork/shuttering work in foundation & wall. **Total length measured in Item No. 4** (3.18+1.3+2.9+3.7+**0.9**+3.5+6.55+**6.0**=28.03)	**Page 20, Item No. 4: -** **RD 7:** 1x2.90x0.25 =0.725 M^2 **RD 12:** 1x0.90x0.95 =0.855 M^2 **RD 18:** 1x6.00x1.80 =10.80 M^2 **Total (RD7+RD12+RD18) = 12.38** M^2	12.38 M^2 @ ₹75.20/ M^2	931.00
Item 5:- Boulder filling behind the wall	**Page 20, Item No. 5:-** **RD7:**1x6.00x0.60x1.20=**4.32** M^3	4.32 M^3 @ ₹182.70/ M^3	789.00
		Total extra payment	**5989.00**
		Total Assessment of material	**106326.00**
		Percentage of excess assessment of material (5989/106326X100)	**5.63%**
		Net payment of the work	**214797.00**
		Hence net extra payment (214797X5.63%)	**12093.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/75 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) निर्माण कार्य भूमि विकास (डंगे का निर्माण) व भूमि संरक्षण हेतु जगदीश चन्द, सतीश चन्द, प्यारे लाल की जमीन के साथ नाले मे दोनों ओर वार्ड न० 2 में अनियमित माप गणना के कारण ₹0.04 लाख के अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य भूमि विकास (डंगे का निर्माण) कार्य भूमि संरक्षण हेतु जगदीश चन्द, सतीश चन्द, प्यारे लाल की जमीन के साथ नाले मे दोनों ओर वार्ड न० 2 की जांच के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण **₹3939.00** का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

कार्य स्वीकृति संख्या : **1304004178/2021-2022/92496** दिनांक **12.11.2021**
प्रशासनिक स्वीकृति संख्या: **1304004178/FP/800091607** दिनांक **12.11.2021**

शेल्फ क्रमांक संख्या : **मनरेगा**	कार्य स्वीकृत राशि : **2,60,856.00**
सामग्री मापन का मूल्यांकन : **1,21,664.00**	कुल व्यय राशि : **2,35,891.00**
मापन पुस्तिका संख्या : **0110** पृष्ठ संख्या : **62 से 65**	

Error: Recording excess Length in Item 2, 3 and 4, resulting excess measurement

- In Item No. 2 Excavation work in foundation (Total length measured on RHS 4.70+11.30+3.80=19.80) **3.80 mtrs** length measured extra when compared with Item no. 3 P/L CC 1:4:8 at Below Ground level work (Total length measured 4.70+11.30=16.00).
- In Item No. 3. (P/L CC 1:4:8) 16 mtrs length was measured below ground level, but while measuring length above ground level Total length measured on RHS above Ground level (4.70+11.30+3.80=19.80) was 19.8 mtrs in place of 16 Mtrs resulting 3.80 mtrs extra in RD No 3 of RHS wall.
- The error of extra measurement 3.80 mtrs was continued in Item No. 4 Providing formwork/shuttering.

This error has resulted in excess payment as under: -

Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Item No.3 P/L cement concrete 1:4:8 aggregate 20mm nominal size	**Page 63, Item No.3** **RHS Wall RD 3:** 1x3.80x(0.70+0.44/2)x1.325 =2.87 M^3 **(measured extra on above Ground level)**	2.87 M^3 @ ₹576.90/ M^3	1656.00
Item No. 4 Providing formwork / shuttering work in foundation & wall. Total length measured on RHS (4.70+11.30+**3.80**=19.80)	**Page 64, Item No. 4** **RHS Wall RD 3:** 1x3.80x1.325 =5.037 M^3	5.035 M^2 @ ₹75.20/ M^2	379.00
Total extra payment			**2035.00**
Total Assessment of material			**121664.00**
Percentage of excess assessment of material (2035/121664X100)			**1.67%**
Net payment of the work			**235891.00**
Hence net extra payment (235891X1.67%)			**3939.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/75 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) निर्माण कार्य कूहल सिंचाई सुविधा हेतु धरुं खाड से क्स्मेड गाँव की ओर वार्ड न 1 में अनियमित माप गणना के कारण ₹0.25 के अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य कूहल सिंचाई सुविधा हेतु धरुं खाड से क्स्मेड गाँव की ओर वार्ड न 1 की जांच के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण **₹24815.00** का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

कार्य स्वीकृति संख्या : **1304004178/2020-2021/5632** दिनांक **01.03.2021**	
प्रशासनिक स्वीकृति संख्या: **1304004178/2020-2021/5632/AS** दिनांक **01.03,2021**	
शेल्फ क्रमांक संख्या : **मनरेगा**	कार्य स्वीकृत राशि : **3,04,111.00**
सामग्री मापन का मूल्यांकन : **1,39,958.00**	कुल व्यय राशि : **2,99,333.00**
मापन पुस्तिका संख्या : **0110** पृष्ठ संख्या : **59** से **61**	

Error: Recording excess RD while measuring item no. 4 & 5 –

P/L cement concrete 1:3:6 aggregate 20mm nominal size. As per Item No. 1 (17 + 21.50 + 12.70 + 18.00 + 22.40 + 30.10 + 20.00 + 26.80 = 168.5 mtrs) & Item No. 2 (17 + 21.50 + 12.70 + 18.00 + 22.40 + 30.10 + 20.00 + 26.80 = 168.5 mtrs) i.e. Excavation in foundation and trenches total 08 nos. RD were measured, but while measuring Item no. 4, RD9 to RD16 were measured extra.

This error has resulted in excess payment as under: -

Description of Item	Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Item No. 4 P/L cement concrete 1:3:6 stone aggregate 20mm nominal size	**Page 60, Item No. 4 RD 9 to 16:**	16.89 M^3 @ ₹576.90/	9744.00

Item No. 4 length measurement **Bed** (17+21.50+12.70+18.00+22.40+30.10+20.00+26.80=168.5 mtrs) Item No. 4 length measurement **wall** (17 + 21.50 + 12.70 + 18.00 + 22.40 + 30.10 + 20.00 + 26.80 + **5.10 + 11.40 + 1.2 + 1.66 + 5.00 + 1.4** = 194.26 mtrs)	1x5.10x0.45x0.50=1.148 1x11.40x0.30.0.50=1.710 1x5.10x0.65x0.80=2.652 1x11.40x0.50.0.83=4.731 1x1.20x0.70x0.45=0.378 1x1.66x0.37x0.90=0.553 1x5.00x0.65x0.83=2.698 1x1.40x0.80x2.70=3.024 **Total = 16.89 M^3**	M^3	
Item No. 5 Providing formwork / shuttering work in foundation & wall. Item No. 5 (formwork) length measurement **wall** (17 + 151.5 + 5.10 + 11.40 + 1.20 + 1.66 + 5.00+ 2.70 = 195.56mtrs)	**Page 60, Item No 5:-** **RD3** 1x5.10x0.80=4.08 **RD4** 1x11.40x0.83=9.462 **RD5** 1x1.20x0.45=0.54 **RD6** 1x1.66x0.90=1.494 **RD7** 1x5.00x0.53=2.65 **RD8** 1x2.70x2.40=6.48 **Total = 24.71 M^3** **(measured extra)**	24.71 M^2 @ ₹75.20/ M^3	1858.00
Total extra payment			**11602.00**
Total Assessment of material			**139958.00**
Percentage of excess assessment of material (11602/139958X100)			**8.29%**
Net payment of the work			**299333.00**
Hence net extra payment (299333X8.29%)			**24815.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/75 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में सम्पूर्ण जांच व कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
8.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी	31	95(1)

	आकलन का रजिस्टर		
9.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
10.	बजट प्राक्कलन	11	37
11.	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या GPNK/GEN/68 दिनांक 27.02.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करें दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालन नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

12 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

को०/50
2741-2745

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(2)263/2020–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत नरवाना खास, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

12 JUN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

को०/50

परिशिष्ठ "क" पैरा संख्या "1 (घ)" के संदर्भ में

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2020

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति	विवरण
1	3	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
2	4	निर्णित	वित्तीय स्थिति
3	5 (1)	अनिर्णित	
4	5 (2)	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
5	6	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
6	7	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
7	8	अनिर्णित	
8	9	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
9	10	अनिर्णित	
10	11	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान
11	12	अनिर्णित	
12	13	निर्णित	ज़िला पंचायत अधिकारी कांगड़ा के कार्यालय में दिनांक 10.01.2022 से 12.02.2022 तक ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान

(दीपक सिंह पठानिया)
उ० ले० प०

परिशिष्ट "ख"

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF G.P. NARWANA KHAS FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	494530.00	113965.00	608495.00	121394.00	487101.00
2022-23	487101.00	44862.19	531963.19	50904.00	481059.19

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	4506916.19	6926573.00	11433489.19	7815457.83	3618031.36
2022-23	3618031.36	5733365.30	9351396.66	5769997.22	3581399.44

25

~~26~~

पम्मी देवी
पंचायत सचिव
ग्राम
विकास खण्ड
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "ग"

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF G.P. NARWANA KHAS FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD SFC	2021-22	147273.00	1590.00	148863.00	0.00	148863.00
		2022-23	148863.00	0.00	148863.00	0.00	148863.00
2	5TH STATE	2021-22	140870.00	307855.00	448725.00	348545.00	100180.00
		2022-23	100180.00	353134.00	453314.00	329239.00	124075.00
3	LADP	2021-22	220524.00	38600.00	259124.00	40995.00	218129.00
		2022-23	218129.00	0.00	218129.00	0.00	218129.00
4	SDP	2021-22	87250.00	323844.00	411094.00	228940.00	182154.00
		2022-23	182154.00	327087.00	509241.00	319208.00	190033.00
5	SBM	2021-22	239593.00	60428.00	300021.00	271870.00	28151.00
		2022-23	28151.00	312.00	28463.00	28463.00	0.00
6	SWACHCHTA SAMITI	2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-23	0.00	99346.00	99346.00	0.00	99346.00
7	SDRF	2021-22	0.00	250000.00	250000.00	0.00	250000.00
		2022-23	250000.00	659071.00	909071.00	806494.00	102577.00
8	CMRF	2021-22	395360.00	1639703.00	2035063.00	1920741.00	114322.00
		2022-23	114322.00	0.00	114322.00	114322.00	0.00
9	CRF	2021-22	78577.00	0.00	78577.00	0.00	78577.00
		2022-23	78577.00	0.00	78577.00	78577.00	0.00
10	VKVNY	2021-22	479786.00	536260.00	1016046.00	635092.00	380954.00
		2022-23	380954.00	180786.00	561740.00	296479.00	265261.00
11	MPLAD	2021-22	618975.00	157429.00	776404.00	454260.00	322144.00
		2022-23	322144.00	57143.00	379287.00	102222.00	277065.00
9	14TH FC	2021-22	1614846.19	96147.00	1710993.19	1671230.19	39763.00
		2022-23	39763.00	835.00	40598.00	835.00	39763.00
10	15TH FC	2021-22	483862.00	1324704.00	1808566.00	53771.64	1754794.36
		2022-23	1754794.36	1170142.00	2924936.36	808648.92	2116287.44
11	MNREGA	2021-22	0.00	2190013.00	2190013.00	2190013.00	0.00
		2022-23	0.00	2885509.30	2885509.30	2885509.30	0.00

पम्मी देवी
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ....
विकास खण्ड ....
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट "घ"

ग्राम पंचायत नरवाना खास विकास खंड धर्मशाला

अंकेक्षण अवधि 2021-22,2022-23 में माह अक्टूबर 2021 ओर माह मई 2022 में प्रयोग की गई सामग्री का ब्यौरा

	Name of work	Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (FEET)	UNIT	RATE	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
FUND N/	2021-22												
MANREGA	भूमि विकास कार्य भूमि सरक्षण हेतू सोहन लाल के घर से के पास नाले में वार्ड न 5	ANSHU GOPAL	Nil	115/01-09-2022	BOULDER STONE	187	CuFT	24	5.29595	2.24	11.86	80.00	949.03
		M/S JATINDER ROAD LINE &CEMENT STORE	Nil	462/05-07-2022	SAND	400	CuFT	36	11.3282	1.62	18.35	80.00	1468.14
		M/S JATINDER ROAD LINE &CEMENT STORE	Nil	462/05-07-2022	CRUSHER BAJRI	400	CuFT	26	11.3282	1.52	17.22	80.00	1377.51
	भूमि विकास कार्य भूमि सरक्षण हेतू अमित कुमार सपुत्र श्री ठाणु राम की जमींन के पास नाले में वार्ड न 4	M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	038/01-11-2021	SAND	400	FT	37.5	11.3282	1.62	18.35	80.00	1468.14
		M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	038/01-11-2021	CRUSHER BAJRI	400	FT	33.5	11.3282	1.52	17.22	80.00	1377.51
	भूमि विकास कार्य भूमि सरक्षण हेतू विधि चंद की जमींन से प्रशौतम चंद की जमींन की ओर नाले में वार्ड न 3	M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	049/01-11-20121	SAND	250	FT	37.5	7.08015	1.62	11.47	80.00	917.59
		M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	049/01-11-20121	CRUSHER BAJRI	250	FT	33.5	7.08015	1.52	10.76	80.00	860.95
		M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	077/31-12-2021	SAND	150	CuFT	37.5	4.24809	1.62	6.88	80.00	550.55
		M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	077/31-12-2021	CRUSHER BAJRI	75	CuFT	33.5	2.12404	1.52	3.23	80.00	258.28
	निर्माण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग व भूमि विकास कार्य नजदीक ऋषि कपूर के घर के पास वार्ड	M/S HIMANI CHAMUNDA TIMBER	Nil	028/12-09-2021	SAND	250	CuFT	37.5	7.08015	1.62	11.47	80.00	917.59

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत [illegible] विकास खण्ड [illegible] जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत नरवाना खास विकास खण्ड धर्मशाला

Techn. Assistant Development Block D/shala Distt. Kangra (H.P.)

	न 2		Nil	028/12-09-2021	CRUSHER BAJRI	300	CuFT	33.5	8.49618	1.52	12.91	80.00	1033.14
			Nil	028/12-09-2021	BOULDER STONE	300	CuFT	23	8.49618	2.24	19.03	80.00	1522.51
14TH FIN.	पंचवटी योजना के अंतर्गत सार्वजानिक पार्क सुदल नाला में ब्यायाम उपकरण व बच्चों की खेल कूद हेतू झूले स्थापित करना	SHER SINGH	15/25-10-2021	175/01-01-2021	CUT STONE	2665	NOS	16	20.5	2.24	45.92	80.00	3673.60
			15/25-10-2021	175/01-01-2021	CRUSHER BAJRI	200	FT	36	5.66412	1.52	8.61	80.00	688.76
			16/25-10-2021	176/01-01-2021	SAND	900	FT	40	25.4885	1.62	41.29	80.00	3303.31
			16/25-10-2021	176/01-01-2021	CRUSHER BAJRI	300	FT	36	8.49618	1.52	12.91	80.00	1033.14
			17/25-10-2021	177/05-01-2021	BOULDER STONE	500	CuFT	25	14.1603	2.24	31.72	80.00	2537.52
	मुरम्मत जीप रोड अरुणा देवी के घर से फैनी राम के घर की ओर वार्ड 4	SHER SINGH	20/25-10-2021	160/28-10-2020	SAND	55	FT	40	1.55763	1.62	2.52	80.00	201.87
			20/25-10-2021	160/28-10-2020	CRUSHER BAJRI	110	FT	36	3.11526	1.52	4.74	80.00	378.82
			20/25-10-2021	160/28-10-2020	BOULDER STONE	115	FT	25	3.25687	2.24	7.30	80.00	583.63
	मुरम्मत रास्ता खिड्कू स्कूल के पास	SHER SINGH	22/25-10-2021	157/07-10-2020	CRUSHER BAJRI	200	FT	36	5.66412	1.52	8.61	80.00	688.76
			22/25-10-2021	157/07-10-2020	SAND	100	FT	40	2.83206	1.62	4.59	80.00	367.03
	निर्माण इंटरलॉकिंग जोगिंग ट्रैक बनाना सार्वजानिक पार्क नजदीक सुदल नाला वार्ड 4	SHER SINGH	24/25-10-2021	166/04-11-2020	CRUSHER BAJRI	1350	FT	36	38.2328	1.52	58.11	80.00	4649.11
			25/25-10-2021	168/06-11-2020	BOULDER STONE	700	FT	25	19.8244	2.24	44.41	80.00	3552.53
			25/25-10-2021	168/06-11-2020	SAND	450	FT	40	12.7443	1.62	20.65	80.00	1651.66
			26/25-10-2021	167/05-11-2020	SAND	800	FT	40	22.6565	1.62	36.70	80.00	2936.28
			26/25-10-2021	167/05-11-2020	BOULDER STONE	716	FT	25	20.2775	2.24	45.42	80.00	3633.74
			27/25-10-2021	169/07-11-2020	CRUSHER BAJRI	500	FT	36	14.1603	1.52	21.52	80.00	1721.89
			27/25-10-2021	169/07-11-2020	BOULDER STONE	350	FT	25	9.91221	2.24	22.20	80.00	1776.27

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड धर्मशाला

Technical Assistant
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

MP LAD	कम्पलीशन सामुदायिक भवन रबिंदर अवस्थी के घर के पास वार्ड 7	M/S JATINDER ROAD LINE &CEMENT STORE	19/25-10-2021	163/13-10-2015	SAND	200	FT	35	5.66412	1.62	9.18	80.00	734.07
			19/25-10-2021	163/13-10-2015	CRUSHER BAJRI	80	FT	35	2.26565	1.52	3.44	80.00	275.50
			19/25-10-2021	163/13-10-2015	BOULDER STONE	280	FT	20	7.92976	2.24	17.76	80.00	1421.01
	निर्माण पक्का रास्ता सुरक्षा दीवार सहित नजदीक श्याम लाल घर वार्ड 4	M/S JATINDER ROAD LINE &CEMENT STORE	20/07-10-2021	267/03-03-2021	SAND	1235	FT	40	34.9759	1.62	56.66	80.00	4532.88
SDRF/CRF /CMRF	मुरम्मत रास्ता दीवार कुहल व कंक्रीट रास्ता सुरिंदर कुमारके घर से वेदप्रकाश के घर की ओर साईं स्कूल वार्ड 1		21/07-10-2021	270/03-03-2021	CRUSHER BAJRI	1338	FT	36	37.8929	1.52	57.60	80.00	4607.78
			22/07-10-2021	268/03-03-2021	CRUSHER BAJRI	1000	FT	36	28.3206	1.52	43.05	80.00	3443.78
			22/07-10-2021	268/03-03-2021	BOULDER STONE	528	FT	25	14.9533	2.24	33.50	80.00	2679.63
VKVNY	निर्माण स्कूल भवन GSS कस्वा नरवाना	M/S JATINDER ROAD LINE &CEMENT STORE	01/25-10-2021	167/20-11-2020	SAND	150	FT	40	4.24809	1.62	6.88	80.00	550.55
SBM	निर्माण महिला एवं पुरुष शोचालय नजदीक पार्क सुदल नाला	SHER SINGH	04/25-10-2021	180-15-12-2020	CUT STONE	2300	NOS	16	15.3333	2.24	34.35	80.00	2747.73
			05/25-10-2021	181/31-03-2021	SAND	240	FT	40	6.79694	1.62	11.01	80.00	880.88
			05/25-10-2021	181/31-03-2021	CRUSHER BAJRI	100	FT	36	2.83206	1.52	4.30	80.00	344.38
SDRF/CRF /CMRF	मुरम्मत सामुदायिक भवन वार्ड 6	M/S JATINDER ROAD LINE &CEMENT STORE	03/26-05-2022	340/05-02-2022	SAND	200	FT	40	5.66412	1.62	9.18	80.00	734.07
VKVNY	कम्पलीशन महिला मंडल भवन वार्ड 7	HIMANI CHAMUNDA TIMBER	09/26-05-2022	103/05-03-2022	SAND	20	FT	37.5	0.56641	1.62	0.92	80.00	73.41

TOTAL	69104.54
25% Penalty	17276.13
G/Total	86380.67

Technical Assistant/
Development Block D/shala
Distt. Kangra (H.P.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ... 2019
विकास खण्ड धर्मशाला

(29)

(30)